निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 661/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नानछी देवी पुत्री महादेव पत्नी हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी अगरपुरा हाल निवासी जोबनेर तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर।
2. नीना जैन पत्नी आशीष जैन,
3. प्रेम देवी पत्नी मदन लाल,
   समस्त जाति जैन महाजन निवासी जैन मोहल्ला जोबनेर, जयपुर।
4. महादेव पुत्र लादू जाति जाट, निवासी अगरपुरा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
5. नानूराम पुत्र महादेव जाति जाट,
6. भूरी देवी पुत्री महादेव,
7. लाली देवी पुत्री महादेव,
8. राजू देवी पत्नी पांचूराम,
9. सुरेश पुत्र पांचूराम,
10. संतोष पुत्री पांचूराम,
11. मोहरी देवी पत्नी महादेव,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अगरपुरा, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 122/2025 ब–उनवानी नानछी देवी बनाम नीना देवी व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री वंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सीताराम जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 03.11.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 122/2025 ब–उनवानी नानछी देवी बनाम नीना देवी व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री सीताराम जाट अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियत दिनांक से पूर्व ही दिनांक 08.09.2025 को पत्रावली को तलब कर न्यायालय में रखवा ली, जिसकी सूचना भी प्रार्थी को नहीं दी गई तथा आगामी पेशी नियत दिनांक से पूर्व ही 17.09.2025 नियत कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 वाद को ऐन केन प्रकार से खारिज करवाने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 का पति जो कि राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है तथा धनबल में भी अधिक है, अपनी राजनैतिक पहुंच व धनबल के आधार पर पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर उक्त प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाने पर आमादा है। दिनांक 08.09.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 व उसके पति को न्यायालय के चेम्बर में बैठे देखा गया। अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके पति ने प्रार्थी को न्यायालय परिसर में कहा कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है आपका स्टे खारिज करवा कर रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 2 व पति के तथ्यों की पुष्टि इस प्रकार भी होती है कि पीठासीन अधिकारी का भी उक्त प्रकरण के प्रति रवैया साफ नहीं होकर उक्त प्रकरण में विशेष रूचि ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

5. अप्रार्थीगण संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner